कार्यपालक दंडाधिकारी बुण्डु, का न्यायालय

वाद सं M 141/11 (U/S 145 CrPC)

मोतीलाल कर्मकार बनाम दर्शन कर्मकार

आदेश

07.11.17. प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर विवादी भूमि जो मौजा बारेन्दा, थाना सोनाहातु में अवस्थित है जिसका Khata No- 271 के plots 335, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353 में क्रमशः रकबा 0.28 Acre, 0.25 Acr, 0.74 Acr, 0.96 Acr, 0.17 Acr, 0.04 Acr, 0.34 Acr, 0.05 Acre कुल 2.83 Acre पर उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद से उत्पन्न शांति भंग की सम्भावना के मद्देनजर धारा 144 CrPC की कारवाई 8.11.2011 को प्रारम्भ की गई। कालान्तर 03.01.2012 को धारा 145 CrPC के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया विचारण करने हेतु। उभय पक्ष ने अपना लिखित कथन दाखिल कर अपने कथन के समर्थन में गवाह का बयान दर्ज कराया।

प्रथम पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह आवेदक अशोक कर्मकार ने अपने बयान में कहा कि जमीन पर नाना लोग से दखल है, रसीद नाना के नाम से कटता है। अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि Khata 271 नौकराना लिखा हुआ है मेरे पूर्वज बारेन्दा गाँव के नौकराना थे। विपक्षी ने JSW को बिक्री 2.83 Acre किया है। कितना खाता लगता है नहीं जानते।

विपक्षी की ओर से प्रथम गवाह रघु कोयरी ने बयान में कहा कि प्रथम पक्ष के बाप दादा को नहीं जानते हैं ना ही खेती करते थे। अभी कहाँ है नहीं जानते। विपक्षी दर्शन ने JSW को बिक्री किया है तथा JSW दखल में है। अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि विवादी भूमि पर घर मकान नहीं है।

विपक्षी की ओर से दूसरे गवाह राजेश मिस्त्री (पार्टी बयान) ने अपने बयान में कहा कि मैं द्वितीय पक्ष हूँ। 2.83 Acre भूमि 03.8.11 को निबंधित पट्टा से JSW को बिक्री किया गया है तथा उनका दखल है। प्रथम तथा द्वितीय पक्ष का दखल नहीं है। अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि प्रथम पक्ष मेरे खानदान का नहीं है, दूसरे खूँट का है। प्रथम पक्ष खेती नहीं करता।

वाद से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया। सोनाहातु थाना से प्राप्त प्रतिवेदन DR 732/11 dated 21.11.11 तथा CO Sonahatu के पत्रांक 72(ii) dt 28.2.14 का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष ने कोई कागजात समर्पित नहीं किया है।

उभय पक्षों ने अपने पक्ष में बहस किया। बहस सुना तथा उभय पक्षों के द्वारा दिये गये गवाही का परिशीलन करने तथा CO Sonahatu तथा सोनाहातु थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विवादी भूमि पर उभय पक्षों का दखल नहीं है। अतः धारा 145 CrPC के अन्तर्गत उक्त संचालित कार्यवाही में बिना किसी प्रभावी आदेश के संचिकास्त (Drop) किया जाता है।

07.11.17

कार्यपालक दंडाधिकारी

बुण्डु (राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:59:17 +05:30
Location: 10.93.79.10